संख्या बी–2–1415/दस–2014–1–2014

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 02 अप्रैल, 2014

विषय–तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में लेखानुदान अवधि (चार माह) के लिये व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर वित्तीय वर्ष 2014–2015 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–61 में तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों को दी जाने वाली कुल धनराशि रूपये 5775.00 करोड़ में से लेखानुदान अवधि (अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई) के लिये व्यवस्थित धनराशि रूपये 1925.00 करोड़ की 3 प्रतिशत की धनराशि (ए0टी0आर0 में उल्लिखित संसतुति संख्या–519 व 514.1 के अनुसार क्रमशः 2 प्रतिशत प्रोत्साहन की व 1 प्रतिशत मलिन बस्तियों के सुधार की धनराशि) को छोड़कर, निम्नानुसार 97 प्रतिशत की धनराशि **रूपये 1867.25 करोड़ (रूपये एक हजार आठ सौ सड़सठ करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** नगरीय निकायों को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि करोड़ में)

कं.स.	निकाय	स्वीकृत धनराशि
1	नगर निगमों हेतु	746.9000
2	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों हेतु	746.9000
3	नगर पंचायतों हेतु	373.4500
	योग	**1867.2500**

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों का पालन करते हुए ए.टी.आर. की संस्तुति संख्या–514.2 के अनुसार निकायों को धनराशि आवंटित किये जाने की प्रक्रिया में **प्रदेश की स्थानीय निकायों को अन्तरण के पुनर्निर्धारण सम्बन्धी वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग के शासनादेश संख्या–एफ.सी. 59/दस–2013–19/2012, दिनांक 27 फरवरी, 2013** को संज्ञान में लेते हुए, निकायों को धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

(2) निकायों को आवंटित धनराशि आहरित कर पी.एल.ए./डिपाज़िट खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि **चार बराबर किश्तों में** कोषागार से आहरित की जायेगी।

(3) यदि किसी निकाय के समायोजन/कटौती की धनराशि शेष है, तो सम्बन्धित निकाय को मिलने वाली उनके हिस्से की धनराशि में से समायोजन/कटौती किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि सम्बन्धित निकाय को आवंटित किया जाय।

(5) तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ए0टी0आर0 की संस्तुति संख्या–529.1 के अनुसार नगरीय निकायों के पक्ष में संक्रमित की गयी धनराशियों के संबंध में निकायों द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय को उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।

(6) निकाय द्वारा धनराशि के आहरण का सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित, निदे स्थानीय निकाय उनसे प्राप्त करेगें तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व न विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(7) नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. उपरोक्तानुसार स्वीकृत व आवंटित की गयी धनराशि के उपयोग की समीक्षा की जायेग

3– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–61 के निम्नांकित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगाः–

क्र. सं.	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष	धन (करो
1.	नगर निगमों हेतु	"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर– 191–नगर निगमों को सहायता– 03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन– 0301–सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन"	746.
2.	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों हेतु	"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर– 192–नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता– 03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन– 0301–सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन"	746.
3.	नगर पंचायतों हेतु	"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर– 193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता– 03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन– 0301–सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन"	373.
		योग	**1867**

भवदीय,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
विशेष सचिव।

संख्या : बी–2–1415(1)/दस–2014–1/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4– वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–8, उत्तर प्रदेश शासन।
5– नगर विकास अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
विशेष सचिव।

(6) निकाय द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित, निदेशक, स्थानीय निकाय उनसे प्राप्त करेगें तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(7) नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. द्वारा, उपरोक्तानुसार स्वीकृत व आवंटित की गयी धनराशि के उपयोग की समीक्षा की जायेगी ।

3– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगाः–

क्र. सं.	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष	धनराशि (करोड़ में)
1.	नगर निगमों हेतु	"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर– 191–नगर निगमों को सहायता– 03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन– 0301–सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन"	746.9000
2.	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों हेतु	"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर– 192–नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता– 03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन– 0301–सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन"	746.9000
3.	नगर पंचायतों हेतु	"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर– 193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता– 03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन– 0301–सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन"	373.4500
		योग	**1867.2500**

भवदीय,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं
विशेष सचिव।

संख्या : बी–2–1415(1)/दस–2014–1/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4– वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–8, उत्तर प्रदेश शासन।
5– नगर विकास अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं